मानक संचालन प्रक्रिया
बाढ़ प्रबंधन हेतु

STANDARD OPERATING PROCEDURE

For Flood Management

JULY 2013

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
मुख्य मंत्री, बिहार

आमुख

मुझे प्रसन्नता है कि जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न स्तरों पर जारी अधिनियम, नियमावली, दिशा–निर्देश, अनुदेश तथा प्रचलित प्रक्रियाओं को समेकित करते हुए बाढ़ प्रबंधन हेतु **"मानक संचालन प्रक्रिया"** तैयार की गई है। इससे जहाँ एक ओर बाढ़ विभीषिका का सामना कारगर ढंग से किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को अपने दायित्वों एवं कृत्यों की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी एवं इससे बाढ़ प्रबंधन का कार्य सफल एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सकेगा।

मुझे उम्मीद है कि यह मानक संचालन प्रक्रिया अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा।

(**नीतीश कुमार**)
मुख्यमंत्री
बिहार

बिहार सरकार

विजय कुमार चौधरी
मंत्री, जल संसाधन विभाग
बिहार

भूमिका

बिहार राज्य के विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण प्रत्येक वर्ष इसे बाढ़ की भीषण समस्या से जूझना पड़ता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर में से 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। राज्य के कुल 38 जिलों में से उत्तर बिहार के सभी 21 जिले और दक्षिण बिहार के 7 जिले बाढ़ प्रभावित हैं।

जल संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रबंधन कार्यों के अन्तर्गत बाढ़ पूर्व संवेदनशील स्थलों पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य तथा बाढ़ अवधि के दौरान किसी स्थल विशेष के आक्राम्य होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराए जाते हैं ताकि बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन कार्यों का कार्यान्वयन 'बिहार सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण नियमावली 2003' तथा समय समय पर विभिन्न स्तरों पर निर्गत विभिन्न अनुदेशों के आलोक में कराया जाता रहा है।

बाढ़ सुरक्षात्मक एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय सीमा का शत प्रतिशत अनुपालन अत्यावश्यक होता है, जिसमें क्षेत्रीय कनीय अभियंता से लेकर मुख्यालय तक की अहम् भूमिका होती है। वर्तमान में यह आवश्यक समझा गया कि विभाग द्वारा एतत्संबंधी विभिन्न नियमावली, महत्वपूर्ण अनुदेशों आदि को समेकित किया जाय ताकि सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने दायित्वों एवं कृत्यों की स्पष्ट जानकारी रहे। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु **"मानक संचालन प्रक्रिया"** तैयार की गयी है।

मुझे विश्वास है कि विभाग में बाढ़ प्रबंधन कार्यों को बेहतर तथा सक्षम कार्यान्वयन में यह मानक संचालन प्रक्रिया उपयोगी होगा।

(विजय कुमार चौधरी)
मंत्री, जल संसाधन विभाग
बिहार

बिहार सरकार

अरूण कुमार सिंह
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

पूर्व-कथ्य

बिहार राज्य देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर में से 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। विशेष रूप से उत्तर बिहार जिसका कुल क्षेत्रफल 44.46 लाख हेक्टेयर है, बाढ़ की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है।

उत्तर बिहार की नदियों के बहाव के साथ आने वाली अत्यधिक गाद की मात्रा इनसे होने वाली कटाव की समस्या के प्रमुख कारण हैं। फलतः, प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक एवं कटाव निरोधक कार्य तथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने पड़ते हैं। यह कार्य बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003' के प्रावधानों एवं विभिन्न स्तरों पर निर्गत दिशा निदेशों के तहत् कराए जाते हैं।

यह महसूस किया गया कि 'बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003' के प्रमुख प्रावधानों, समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर निर्गत दिशा निर्देशों, अनुदेशों तथा बाढ़–सुरक्षात्मक कार्य के सूत्रण/कार्यान्वयन में विभाग में प्रशस्त प्रक्रियाओं को समेकित करते हुए बाढ़ प्रबंधन हेतु **'मानक संचालन प्रक्रिया'** (Standard Operating Procedure-SOP-for Flood Management) तैयार की जाय, ताकि बाढ़ प्रबंधन कार्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं, यथा– बाढ़ पूर्व कार्रवाई, योजनाओं की स्वीकृति, बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई, सूचनाओं के संप्रेषण एवं अपेक्षित व्यवस्था, तटबंधों के टूटने की दशा में अपेक्षित कार्रवाई तथा आपात स्थिति में जिला प्रशासन की भूमिका के संदर्भ में इन कार्यों में संलग्न पदाधिकारियों के लिए सुस्पष्ट मार्ग निदेश सुलभ हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा यह मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

सभी मुख्य अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में विभिन्न पदाधिकारियों को कार्य आवंटन का संशोधित बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका निर्गत करेंगे।

मुझे आशा है कि इस मानक संचालन प्रक्रिया के विहित प्रावधानों का संबंधित तकनीकी तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.)
FOR FLOOD MANAGEMENT

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय	पृ० सं०
1.	सामान्य	1
2.	बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा	1
3.	बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई	3–13
4.	बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई	14–26
5.	परिशिष्ट (I) बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'क'	27
	(II) बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'ख'	28

बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

1. सामान्य

बिहार राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। राज्य में बाढ़ का सामना करने के लिए बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के दौरान की जानेवाली तैयारी एवं कार्रवाई के संबंध में कतिपय निदेश/अनुदेश/मार्गदर्शन निर्गत हैं, जिन्हें समेकित करते हुए यह मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है, जिसका अनुपालन संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों के लिए आवश्यक होगा।

2. बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

2.1 बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा निम्नवत् है–

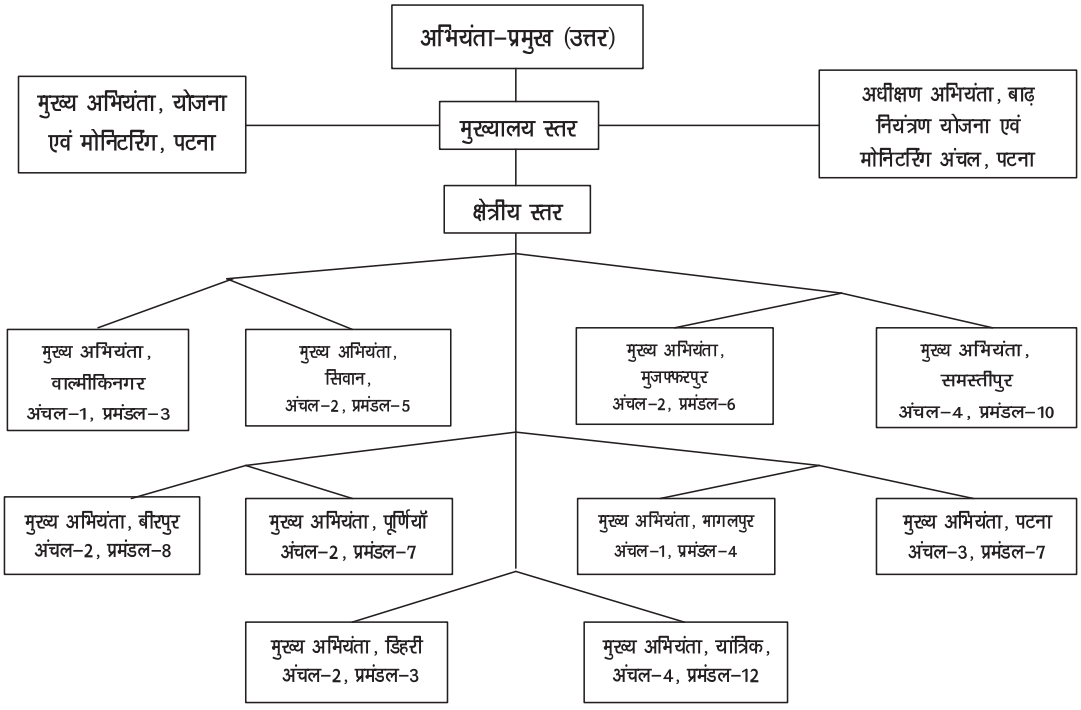

जल संसाधन विभाग में मुख्यालय स्तर पर अभियंता–प्रमुख (उ०) के नेतृत्व में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग तथा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा बाढ़ प्रबंधन के अनुश्रवण की कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए 10 मुख्य अभियंता कार्यालय, 23 अंचलीय कार्यालय एवं 65 प्रमंडलीय कार्यालय कार्यरत हैं।

2.2 बाढ़ प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य विभाग

बाढ़ प्रबंधन के क्रम में निम्न विभागों एवं संगठनों से समन्वय रखा जाता हैः–

राज्य सरकार के विभाग/प्राधिकार

1. गृह विभाग
2. आपदा प्रबंधन विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. ग्रामीण कार्य विभाग
5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
7. पर्यावरण एवं वन विभाग
8. बाढ़ प्रवण जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक

केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन

1. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार
2. केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार
3. भारतीय मौसम विभाग, भारत सरकार

3.0 बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई (16 अक्टूबर से 14 जून)

3.1 राज्य मे बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु मानसून अवधि आरम्भ होने के पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय ताकि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। बाढ़ पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'क' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–I)। ये सभी कार्य निम्नांकित मानक बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे–

मानक बाढ़ कैलेन्डर

क्र०	घटनाक्रम (Events)	निर्धारित तिथि
1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	17 सितम्बर से 20 सितम्बर
2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	21 सितम्बर से 23 सितम्बर
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	 24 सितम्बर से 26 सितम्बर 27 सितम्बर से 30 सितम्बर
4	टी०ए०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	01 अक्टूबर
5	टी०ए०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर
6	कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर

7	टी०ए०सी० की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	17 अक्टूबर
8	12.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी०एफ०सी०सी० के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	18 अक्टूबर
9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	24 अक्टूबर
10	एस०आर०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	25 से 29 अक्टूबर
11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक	10 नवम्बर
12	**कार्यक्रम**	
	(क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	12 नवम्बर
	(ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि	14 नवम्बर
	(ग) निविदा आमंत्रण की तिथि *	16 से 20 नवम्बर
	(घ) निविदा प्राप्ति की तिथि **	10 से 13 दिसम्बर
	(ड.) निविदा निष्पादन की तिथि	28 दिसम्बर
	(च) कार्य आवंटन की तिथि	31 दिसम्बर
	(छ) कार्य आरम्भ की तिथि	01 जनवरी
	(ज) कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई
13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	07 जनवरी
14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	02 मई
15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन	31 मई
16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	03 जून
17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	05 जून

स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा		
18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल
19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 से 15 मई
20	विभागीय मंत्री/उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	01 से 15 जून

* पुनर्निविदा के मामले में तीन दिनों के अन्दर अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर निविदा निस्तार किया जाएगा।

** निविदा प्राप्ति की तिथि मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के लिए 10 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर एवं वाल्मीकिनगर के लिए 11 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, वीरपुर, पूर्णिया एवं भागलपुर के लिए 12 दिसम्बर एवं अन्य सभी मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के लिए 13 दिसम्बर होगी।

3.2 बाढ़ मौसम के पूर्व कार्यान्वित की जानेवाली कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप का निर्धारण

बाढ़ मौसम के उपरान्त जल संसाधन विभाग द्वारा **मानक बाढ़ कैलेन्डर** के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के क्रम में कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जायेंगी :–

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षतिग्रस्त स्थलों को चिन्हित करते हुए कटाव निरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना।

(ii) तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजना तैयार किया जाना।

(iii) मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति, जिसमें सम्बन्धित मुख्य अभियंता के अतिरिक्त अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सम्मिलित रहते हैं, द्वारा कटाव निरेाधक योजनाओं का स्वरूप निर्धारित कर विहित रूप में इसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

3.3 तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन :

मुख्य अभियंता कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा के आधार पर सूत्रित योजनाओं को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। यह समिति निम्नवत् गठित है :–

1	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर	सदस्य
6	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,पूर्णियाँ	सदस्य
7	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	सदस्य
8	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	सदस्य
9	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
11	मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विभाग, पटना	सदस्य
13	मुख्य वन संरक्षक, पटना	सदस्य
14	केन्द्रीय (नदी प्रबन्धन) जल आयोग–212 द्वितीय तल, दक्षिण खंड, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली का एक सदस्य	सदस्य
15	मुख्य अभियंता (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उ0 प्रदेश	सदस्य
16	मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
17	मुख्य अभियंता (ब्रीज), उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी (आसाम)	सदस्य
18	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
19	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	सदस्य
20	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना	सदस्य सचिव

3.4 कोशी/गंडक नदी (पी०पी० तटबंध) से संबंधित योजना हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ विशेष व्यवस्था

3.4.1 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति :

कोशी नदी के तटबंधों एवं गंडक नदी के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध संबंधी मामलों में प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इन्हें कोशी एवं गंडक नदी के लिए पृथक–पृथक गठित उच्चस्तरीय समिति के उप–समितियों के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

ये उप–समितियाँ निम्नवत गठित हैं–

1	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, प्रभारी कोशी तटबंध/प्रभारी गंडक पिपरासी–पिपराघाट तटबंध	सदस्य सचिव

उपर्युक्त उप–समितियों के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता निम्नलिखित अभिलेखों को उप–समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे –

- ✓ नदी का रिजिम प्लान, जिसमें पूर्व के वर्षों के कटावों की स्थिति अंकित हो;
- ✓ स्थल का प्रोबिंग चार्ट;
- ✓ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण एवं फलाफल;
- ✓ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का व्यौरा;
- ✓ निकटतम स्थल पर अवस्थित गेज स्टेशनों के गेज पठन एवं जलस्राव आँकड़े;
- ✓ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य एवं अनुमानित लागत का विवरण;
- ✓ कोई अन्य वांछित सूचना।

3.4.2 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति

कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, वीरपुर एवं सिवान क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध की सुरक्षा हेतु योजनाएँ अनुमानित लागत के साथ बनाकर कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। ये समितियाँ निम्नवत् गठित हैं :–

कोशी उच्चस्तरीय समिति

1	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2	निदेशक, शोध संस्थान, पूणे अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3	केन्द्रीय (बाढ़) जल आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य/उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	सदस्य
6	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
7	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	सदस्य
8	निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराटनगर, नेपाल	सदस्य
9	उप–महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	सदस्य सचिव

गंडक उच्चस्तरीय समिति

1	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना	सदस्य
3	अभियंता प्रमुख, डी.एण्ड पी., सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, सिंचाई भवन, कैनाल कॉलौनी, लखनऊ–226001	सदस्य
4	निदेशक, केन्द्रीय जल व उर्जा अनुसंधान स्टेशन, पो०– खड़कवासला, पूणे–411024	सदस्य
5	मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
6	निदेशक, सिंचाई शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, रूड़की	सदस्य
7	निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य सचिव

कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक (पिपरासी–पिपराघाट) तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा समर्पित योजना का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा करेगी।

3.5 योजना समीक्षा समिति (एस०आर०सी०) के समक्ष बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का उपस्थापन

तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा योजना प्राक्कलन तैयार कर विभागीय योजना समीक्षा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। विभागीय योजना समीक्षा समिति निम्नवत् गठित है:–

1	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक सदस्य (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना–सह–अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य

3.5.1 योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पण

योजना समीक्षा समिति, तकनीकी सलाहकार समिति/उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आवश्यक योजनाओं का चयन उपलब्ध निधि सीमा के अन्तर्गत करेगी। योजनाओं की समीक्षा एवं उनका चयन करते समय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नांकित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा :–

प्रथम प्राथमिकता– तटबंधों एवं निवृत्त तटबंधों की सुरक्षा।

द्वितीय प्राथमिकता– बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, बड़े–बड़े शहरों एवं पुरानी घनी आबादी वाले बस्तियों की सुरक्षा।

तृतीय प्राथमिकता– कृषि योग्य भूमि एवं दियारा क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य।

3.6 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण

योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय तथा 30.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सम्मिलित रहेगा। विभाग यह कार्यावली बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। यह पर्षद् निम्नवत् गठित है :–

1	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री, बिहार	सदस्य
3	जल संसाधन मंत्री, बिहार	सदस्य
4	योजना मंत्री, बिहार	सदस्य
5	राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार	सदस्य
6	मुख्य सचिव, बिहार	सदस्य
7	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य

8	विकास आयुक्त, बिहार	सदस्य
9	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
10	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
11	मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
12	मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	सदस्य
13	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य सचिव

3.7 अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया

अनुशंसित योजनाओं में सामान्यतः रू० 12.50 करोड़ तक लागत राशि वाली योजनाएँ राज्य सरकार के निधि–स्त्रोत से कार्यान्वित की जाती है एवं रू० 12.50 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाएँ भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर कार्यान्वित की जाती है। इसकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् हैं :–

3.7.1 योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–

क्र०	योजना की राशि	स्वीकृति प्राधिकार
(i)	रू० 2.50 करोड़ तक की योजना	विभागीय सचिव
(ii)	रू० 2.50 करोड़ से रू० 10.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री
(iii)	रू० 10.00 करोड़ से रू० 20.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
(iv)	रू० 20.00 करोड़ से अधिक की योजना	मंत्रिपरिषद्

3.7.2 गैर योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–

क्र०	योजना की राशि	स्वीकृति प्राधिकार
(i)	रू० 1.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय सचिव
(ii)	रू० 5.00 करोड़ तक की योजना	विभागीय मंत्री
(iii)	रू० 5.00 करोड़ से अधिक की योजना	मंत्रिपरिषद्

3.7.3 केन्द्र सम्पोषित योजनाओं का वर्गीकरण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:–

योजनाओं की प्रकृति एवं लागत राशि के अनुसार केन्द्रीय स्त्रोत से निधि प्राप्ति की निम्नांकित व्यवस्था है :–

(क) केन्द्रांश : राज्यांश – (75 : 25)

(ख) केन्द्रांश : राज्यांश – (90 : 10)

(ग) केन्द्रांश – (100%)

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 12.50 करोड़ से उपर की योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित की जाती है। इनमें से रू० 25.00 करोड़ तक की लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के स्तर से किया जाता है एवं रू० 25.00 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार के स्तर से विनिवेश की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की जाती है। नये कार्यों के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 रहता है जबकि क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्स्थापन के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 रहता है।

''**सीमावर्त्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य कलाप**'' (River Management Activities & Works related to Border Areas – RMAWBA) शीर्ष के अन्तर्गत कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित योजनाओं को लिया जाता है। इस शीर्ष के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य विहित अभिलेख के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाता है।

3.8 कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का प्रबोधन

बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति के प्रबोधन हेतु विभाग द्वारा मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार विशेष जाँच दलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा–निवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

3.9 कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रगति की समीक्षा

मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्य की प्रगति का एजेण्डावार साप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित किया जायेगा जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।

4.0 बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई (15 जून से 15 अक्टूबर)

4.1 राज्य में बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सुव्यवस्थित ढंग से सामना करने हेतु बाढ़ अवधि में की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'ख' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–II)।

4.2 प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व बाढ़ से संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन स्थलों का निरीक्षण कर तटबंधों के दरार, कटाव, क्षरण, चूहा एवं अन्य जानवरों से निर्मित छिद्र, रेन कट्स, पॉट होल्स एवं अन्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मती 31 मई के पूर्व निश्चित रूप से करा लेंगे। इस कार्य को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.3 संभावित आक्रामय स्थलों की सूची

4.3.1 पिछले दिनों में नदी के रिजिम में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की अद्यतन स्थिति के समीक्षोपरान्त यदि कोई नया आक्रामय स्थल परिलक्षित हो रहा हो तो इसकी सूची कार्यपालक अभियंता 15 मई से 22 मई के बीच स्थल निरीक्षण कर अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात् जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ 23 मई से 25 मई के बीच संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं यदि कुछ नये आक्रामय स्थल परिलक्षित होंगे तो तदनुसार उपर्युक्त सूची को संशोधित कर लिया जायेगा।

मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता के साथ 26 मई से 31 मई के बीच इन आक्रामय स्थलों का निरीक्षण करेगें एवं यदि आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अन्तिम सूची तैयार करेंगे और इसे 1 जून तक विभाग में समर्पित करेंगे।

4.3.2 मुख्य अभियंता की यह भी जिम्मेवारी होगी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तटबंधों की गश्ती के संबंध में विभागीय स्तर से निर्गत सभी परिपत्रों को समेकित करते हुए तथा उपर्युक्त आक्रामय स्थलों की सूची के साथ सभी अभियंताओं का कार्यक्षेत्र अंकित करते हुए बाढ़ अवधि के लिए ''**बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका**'' निर्गत करेंगे। इस बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका को मुख्य अभियंता जून के प्रथम सप्ताह में विभाग तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

4.4 तटबंध सुरक्षा की जिम्मेवारी

- कनीय अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका के प्रावधान के तहत प्रत्येक दिन चार बार तटबंधों/संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे। कनीय अभियंता का बाढ़ अवधि के दौरान मुख्यालय उनके परिक्षेत्राधीन पड़ने वाले तटबंध के अतिसंवेदनशील स्थल पर अस्थायी निर्मित कैम्प कार्यालय रहेगा। कनीय अभियंता मोटर साईकिल से गश्ती करेंगे एवं इस गश्ती हेतु कनीय अभियंता को प्रतिदिन दो लीटर पेट्रोल अनुमान्य रहेगा। सूचनाओं का आदान–प्रदान कनीय अभियंता VPN/CUG मोबाईल के माध्यम से करेंगे। स्थल की संवेदनशीलता के संबंध में किसी भी स्त्रोत से सूचना मिलने पर कनीय अभियंता आधा घंटा के अन्दर उस स्थल पर पहुँचकर बाँध की स्थिति से तत्काल सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अवगत करायेंगे एवं सुरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनीय अभियंता अपने कार्य क्षेत्राधीन सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर स्थल पंजी, गेज पंजी, क्रेट लेईंग रजिस्टर, साउन्डिंग रजिस्टर एवं भंडार पंजी संधारित करेंगे।

- बाढ़ अवधि के दौरान सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीनस्थ तटबंध के सर्वाधिक संवेदनशील स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय होगा। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक सहायक अभियंता को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध रहेगा। कनीय अभियंता अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही वे एक घंटा के अन्दर स्थल पर पहुँचकर, स्थिति से तत्काल कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए सुरक्षा की कार्रवाई को सम्पुष्ट करेगें। सहायक अभियंता कार्य से संबंधित सभी पंजियों को जाँच कर हस्ताक्षरित करेंगे।

- कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य किसी भी स्त्रोत से स्थल की संवेदनशीलता की जानकारी होते ही दो घंटे के भीतर कार्यपालक अभियंता स्थल पर पहुँचकर इसकी सुरक्षा हेतु वांछित कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करेंगे एवं इस संबंध में अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल को सूचित करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल इसकी सूचना देंगे एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करेंगे। बाँध में यदि जान–बूझकर क्षति (sabotage) पहुँचाने की आशंका हो तो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगे। आवश्यकतानुसार जनसहयोग के लिए जन–प्रतिनिधियों को भी सूचित करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 8.00 बजे पिछले चौबीस घंटे का खैरियत प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त स्थलवार कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिमाण एवं राशि विहित प्रपत्र में, नदी का गेज पठन एवं जलश्राव की सूचना मुख्यालय को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कार्यपालक अभियंता का यह दायित्व होगा कि आपातकालीन कार्य हेतु सूचीबद्ध संवेदकों में से किसी एक को नामांकित कर कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- अधीक्षण अभियंता स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही तीन घंटे के अन्दर स्थल पर पहुँचकर सुरक्षात्मक कार्य की प्रगति से संतुष्ट होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे एवं मोबाईल/बेतार संवाद द्वारा मुख्य अभियंता तथा विभाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की राशि जब अधीक्षण अभियंता को नामांकन की प्रदत्त शक्ति से अधिक हो जाय तो कार्य में लागत की वृद्धि एवं इसके औचित्य की सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता/विभाग को देते हुए इसपर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अभियंता प्रमुख (उ०) की यह जिम्मेवारी होगी कि चौबीस घंटे के भीतर नामांकन प्रस्ताव गुण–दोष के आधार पर स्वीकृत कर इसकी सूचना मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को दें।

- मुख्य अभियंता स्थल के संवेदनशीलता के बारे में सूचना पाने के चार घंटे के अन्दर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निदेश देंगे।

  मुख्य अभियंता स्थल पर आवश्यकतानुसार स्थल को अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील घोषित करते हुए परिक्षेत्राधीन गठित विशेष दल के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करेंगे।यदि स्थिति अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायेंगे एवं एक आत्मभारित प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब भेजते हुए आवश्यकतानुसार मोबाईल से भी सूचना देंगे।

  मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से तटबंधों का खैरियत प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। मुख्य अभियंता दैनिक खैरियत प्रतिवेदन, साप्ताहिक सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन तथा पाक्षिक प्रपत्र–24 मुख्यालय में समर्पित करेगें एवं आकस्मिक परिस्थिति में अद्यतन स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) को तुरन्त अवगत करायेंगे।

- जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से उपर रहे या तटबंध के टो में नदी का पानी सट जाय तो कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक रात–दिन तटबंधों की गश्ती करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करेंगे।
- सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।
- तटबंधों पर गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गृह–रक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक कि०मी० पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। गृह–रक्षकों की गश्ती बीट–वार की जायेगी।
- गृह–रक्षकों का मुख्यालय तटबंध के उस प्रभाग के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय रहेगा, जहाँ वे कनीय अभियंता को गश्ती के दौरान प्राप्त सूचनाओं को देंगे। इन सूचनाओं का कनीय अभियंता द्वारा एक पंजी में संधारण किया जायेगा। कनीय अभियंता गृह–रक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को देंगे। कार्यपालक अभियंता अनुपस्थिति की सूचना जिला समादेष्टा, गृह–रक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

4.5 संवेदनशील स्थलों का वर्गीकरण

स्थल की संवेदनशीलता के अनुसार संवेदनशील स्थलों को निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगाः–

(क) अतिसंवेदशील स्थल

(ख) संवेदनशील स्थल

4.5.1 अतिसंवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के टो अथवा स्लोप पर आरंभ हो गया हो जिससे संरचना/तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो।
- मुख्य अभियंता अतिसंवेदशील स्थल पर विशेष दल, जिसमें प्रत्येक पाली के लिए एक कार्यपालक अभियंता एवं दो सहायक अभियंता/कनीय अभियंता होगें, को प्रतिनियुक्त करेंगे। यह विशेष दल अधीक्षण अभियंता के समग्र निर्देशन में कार्य करेगा। तीन दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

4.5.2 संवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि संरचना/तटबंध से नदी कुछ दूरी पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार की है कि यदि इसे अविलम्ब नहीं रोका गया तो यह संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँच कर स्थिति को गंभीर बना सकती है।
- मुख्य अभियंता संवेदनशील स्थल पर आवश्यकतानुसार विशेष दल को प्रतिनियुक्त करेंगे। लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

4.6 बाढ़ नियंत्रण आदेश का निर्गमन

बाढ़ अवधि में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के निराकरण हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से **"बाढ़ नियंत्रण आदेश"** निर्गत किया जायेगा, जो सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधितों को प्रेषित होगा।

4.7 बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन

बाढ़ के दौरान आक्राम्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारण कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श देने के निमित्त नदी बेसिनवार बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

4.8 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का गठन

- जून की 15 तारीख से मुख्यालय स्थित सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग कार्य करना आरंभ कर देगा जो रात–दिन 31 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा। ये तिथियाँ किसी आपात बाढ़ स्थिति के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती हैं। मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना इस बाढ़ नियंत्रण कोषांग पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे और अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग इस कोषांग के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। उन्हें यह प्राधिकार होगा कि वे बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में किसी भी दूसरे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से कर्मचारी, वाहन तथा मशीनरी आदि की माँग कर सके।
- क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के ही सदृश संबंधित अभियंताओं द्वारा मार्ग–निर्देश तैयार किये जायेंगे।

4.8.1 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्य

- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में कार्य किया जायेगा।

- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा क्षेत्रीय अभियंताओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर सारांश प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक दिन दो बार अर्थात् 10.00 बजे सुबह एवं 5.00 बजे संध्या अभियंता प्रमुख (उत्तर), प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।

- पाली प्रभारी अपने पाली में क्षेत्रीय कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक से उनके VPN/CUG मोबाईल पर सम्पर्क करेंगे तथा उनके लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रत्येक दिन उपलब्ध करायेंगे।

- स्थलवार कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के परिमाण एवं राशि का व्यौरा दैनिक रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय में भेजा जायेगा। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के स्तर पर संबंधित मोनिटर द्वारा इसका संकलन कर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग के स्तर से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अभियंता प्रमुख (उ०)/प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

4.8.2 मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन

विभागीय मुख्यालय में छः विशेष दल का गठन किया जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल विशेष पर भेजा जायेगा। इस विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता एवं एक सहायक अभियंता सम्मिलित रहेंगे। स्थल निरीक्षण हेतु इस विशेष दल को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.9 क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ से संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार अतिसंवेदनशील स्थल पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जो चौबीसो घंटे कार्यरत रहेगा।

4.10 सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/वी.पी.एन. मोबाईल सेटों को क्रियाशील रखना

- कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा सूचनाओं के द्रुत गति से आदान प्रदान करने हेतु उन्हें उपलब्ध कराए गए VPN/CUG मोबाईल को क्रियाशील रखा जाएगा।
- बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिए सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा।
- बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। वायरलेस सेट 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आवश्यकतानुसार पुलिस वायरलेस सेट का भी उपयोग किया जायेगा।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित दूरभाष/फैक्स/ई–मेल सुविधा का उपयोग किया जायेगा।

4.11 बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई

- प्रत्येक वर्ष 15 जून तक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण आक्राम्य स्थलों पर एवं केन्द्रीय भण्डार में कर लिया जायेगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आवश्यकताओं की सूचना 15 जनवरी तक अधीक्षण अभियंता को देंगे जो उसकी सम्यक् जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को 22 जनवरी तक भेजेंगे। मुख्य अभियंता अपने पूरे परिक्षेत्र में सामग्रियों की आवश्यकता की

समीक्षा कर उनकी प्राप्ति एवं संचयन के लिए अधियाचना विभाग में 31 जनवरी तक समर्पित करेंगे। विभाग में इसकी समीक्षा कर क्रयादेश की कार्रवाई तत्काल की जायेगी।

- कार्यपालक अभियंता भंडार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गमन तथा अवशेष का सही लेखा–जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारी जब चाहें उसकी सम्यक् जाँच कर इनकी पर्याप्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट हो सके।

4.12 आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था

- बाढ़ अवधि में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति में झोपड़ीनुमा कैम्प कार्यालय कार्यरत होगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ यथा– पेयजल, शौचालय, रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

4.13 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से जिलावार समिति का गठन

- तटबंध तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती के निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करने हेतु जिला में एक समिति निम्नवत् गठित किया जाता है :–

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	कार्यपालक अभियंता (बाढ़ नियंत्रण कार्यों से संबंधित)	सदस्य
4	आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित जिलास्तर के एक पदाधिकारी	सदस्य

- बाढ़ संबंधी कार्य के लिए व्यवहृत निरीक्षण वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए अधियाचित नहीं किया जायेगा।

- जिला पदाधिकारी, आपात स्थिति में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपात विन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित सहयोग करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में यदा कदा असामाजिक तत्त्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जो कार्य की प्रगति को बाधित भी करता है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें तथा गतिरोधों को तत्परतापूर्वक दूर करें, ताकि कार्य की प्रगति बनायी रखी जा सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष जाँच दलों को भी, उनके द्वारा मांगे जाने पर वे आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।
- जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाय तो मुख्य अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी, स्थिति की सूचना तुरंत जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग पटना को भी अवगत करायेंगे जिसमें इस आशय का भी उल्लेख होगा कि संभावित टूटान से कितने क्षेत्र प्रभावित होंगे।
- उपर्युक्त सूचना के आधार पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना इनन्डेशन मैप तैयार करेगा।
- जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उपर्युक्त मैप के आधार पर संभावित क्षेत्र के आम जनता के बीच बाढ़ चेतावनी निर्गत कर देंगे तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिए साहाय्य की व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- साहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन विभाग करेगा।
- अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर हो जाय, तब सैन्य सहायता की अधियाचना की जायेगी। स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा ऐसी सहायता की मांग राज्य के गृह विभाग से परामर्श करने के बाद ही की जायेगी।

4.14 सूचनाओं का प्रसारण

- बाढ़ से संबंधित सूचनायें निम्नलिखित वेब साईटों पर उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय स्तर पर गठित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इनका उपयोग किया जायेगाः–

- Meteorological Forecasting Division, Govt. of Nepal
  http://www.mfd.gov.np

- Central water Commission
  http://www.india-water.com

- Water Resources Department, Govt. of Bihar
  http://wrd.bih.nic.in

- India Meteorological Department
  http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in

- Disaster Management Department, Govt. of Bihar
  http://disastermagmt.bih.nic.in

- Ganga Flood Control Commission, Patna, Ministry of Water Resources, Govt. of India
  http://gfcc.bih.nic.in

- National Informatics Centre-Weather Resource System for India
  http://weather.nic.in

- Weather forecast for Nepal
  http://www.mfd.gov.np

- Weather forecast for Bihar from Yahoo
  http://weather.yahoo.com/India/bihar-2274908

- Flood Management Improvement Support Centre, Bihar
  http://www.fmis.bih.nic.in

4.15 बाढ़ अवधि के दौरान आपात् स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जानेवाली कार्रवाई

- तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाय तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे।

- जिला पदाधिकारी संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों का बार–बार निरीक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों की सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाईयों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जायेगा ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिए आवश्यक सशस्त्र बलों का आकलन संयुक्त रूप से किया जा सके।

- जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी तटबंधों और इनके ढालों पर अतिक्रमण न रहे।

4.16 तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई

- कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की देख–रेख में टूटान बिन्दु के दोनों कट–इन्ड को होल्ड करने एवं ब्रीच को क्लोज करने की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ कर देंगे।

- सूचना मिलने पर जिला पदाधिकारी अविलंब स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं स्थिति के संबंध में अपना आकलन आपदा प्रबंधन विभाग को द्रुततम संचार माध्यम से प्रेषित करेंगे।

- ब्रीच क्लोजर के समय स्थल पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जायेगी एवं मरम्मती की देख–भाल वरीय अभियंताओं के अतिरिक्त जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी करेंगे।

- टूटान/कटान की मरम्मती से संबंधित प्रगति की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

4.17 सूचना/मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई

बाढ़ अवधि में आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टी०वी० एवं प्रिन्ट मीडिया जैसे संचार माध्यमों का उपयोग किया जायेगा एवं जनता को सही तथ्यों की जानकारी समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय स्तर पर जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को सूचना दी जायेगी।

परिशिष्ट–I

बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट 'क'

क्र०सं०	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1	तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण		
2	आगामी बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु आक्राम्य स्थलों का समिति द्वारा निरीक्षण		
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति का स्थल निरीक्षण		
4	तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन		
5	तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक एवं अनुशंसा		
6	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति का स्थल निरीक्षण		
7	तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति से अनुशंसित योजनाओं का योजना समीक्षा समिति (एस.आर.सी.) के समक्ष उपस्थापन		
8	योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा		
9	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण		
10	अनुशंसित कटाव निरोधक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति		
11	स्वीकृत कटाव निरोधक योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण/निष्पादन		
12	कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी रखते हुए विशेष जॉच दलों का गठन		
13	मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण		
14	मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण		

परिशिष्ट–II

बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाइयों का

चेकलिस्ट 'ख'

क्र०सं०	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1	तटबंधों के दुर्बल स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई		
2	जिला प्रशासन के साथ तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण		
3	संभावित आक्राम्य/संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सूची का विभाग में प्रेषण		
4	बाढ़ नियंत्रण आदेश का प्रकाशन		
5	बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई		
6	आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था		
7	बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से होमगार्ड/सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति		
8	बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन		
9	बाढ़ प्रबन्धन निर्देशिका का प्रकाशन		
10	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का अधिष्ठापन		
11	क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन		
12	आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन		
13	सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/भी.पी.एन. मोबाईल सेटों का अधिष्ठापन एवं क्रियाशील रखना		
14	तटबंध सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना		
15	सूचनाओं/प्रतिवेदनों के प्रकाशन एवं प्रसारण की व्यवस्था		
16	बाढ़ अवधि में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त करना		
17	तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई करना		
18	सूचना/मिडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिर्पोट पर कार्रवाई		

महत्त्वपूर्ण दूरभाष

क्र० सं०	पदनाम	कार्यालय	आवास/ भी.पी.एन. संख्या
1	मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार	0612–2217696 0612–2217331	0612–2526611
2	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	0612–2217377 0612–2217948	9473197003 .
3	अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग	0612–2217040 9473197005	0612–2660750 9430518554
4	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना	0612–2217782 / 2206669	
5	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना	0612–2215345	9473197006
6	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	0612–2217309	9473197012
7	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०सं०–1, पटना	0612–2215850	9473197014
8	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०सं०–2, पटना	0612–2206669	9473197015
9	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०सं०–3, पटना	0612–2217782	9473197016
10	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०सं०–4, पटना	0612–2217146	9473197017
11	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान	06154–240215	06154–240107 9473197019
12	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मिकीनगर	06252–241289	09473197308
13	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	0621–2242367	0621–2273110 9473197201
14	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	06274–222141	06274–222241 9473197243
15	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	06471–222019	9473197047
16	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ	06454–242553	9473197110
17	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर	0641–2409864	0641–2611445 9473197142
18	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना	0612–2250681	9473197160
19	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी	06184–250368	06184–264744 9473197344
20	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया	0631–2220402	9473197363
21	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद	06186–223284	9473197360
22	संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन, सुधार सहायक केन्द्र, पटना	0612–2256999	9473197009

महत्त्वपूर्ण ई–मेल / वेब–साईट

1	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	http://www.wrd.bih.nic.in
2	बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना	http://www .fmis.bih.nic.in
3	बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	fmc_wrd@hotmail. com.